क्रम-संख्या--463 (ख)

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०--1

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०--41

(लाइसेन्सड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--- 4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 8 जून 1984

ज्येष्ठ 18, 1906 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कृषि अनुभाग-9

संख्या 3438/12(9)-1858-77

लखनऊ, 7 जून, 1984

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा० प० नि०--55

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समय समय पर लागू नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश कृषि विभाग समूह 'घ' कर्मचारी सेवा में भर्ती और उससे निगत व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग समूह 'घ' कर्मचारी सेवा नियमावली, 1984

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश कृषि विभाग समूह 'घ' कर्मचारी सेवा नियमावली, 1984 कही जायगी। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2—उत्तर प्रदेश कृषि विभाग समूह 'घ' कर्मचारी सेवा में समूह 'घ' के पद समाविष्ट हैं। — सेवा की प्रास्थिति

लागू होना

3—यह नियमावली सरकार के कृषि विभाग में समूह 'घ' के पदों पर लागू होगी ।

परिभाषाएं

4—जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली में—

(क) नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य—

(एक) निदेशालय के पदों के सम्बन्ध में ऐसे अधिकारी से है जो निदेशक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत मुख्यालय पर उप निदेशक से अनिम्न पद का हो,

(दो) संभागीय कार्यालयों के पदों के सम्बन्ध में सम्बद्ध उप निदेशक से है, और

(तीन) जिला स्तर के कार्यालयों के पदों के सम्बन्ध में सम्बद्ध जिला स्तर के अधिकारी से है,

(ख) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है,

(ग) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के आधीन भारत का नागरिक है या समझा जाय,

(घ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है,

(ङ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(च) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है ;

(छ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश कृषि विभाग समूह "घ" कर्मचारी सेवा से है ;

(ज) 'अधीनस्थ कार्यालय" का तात्पर्य कृषि विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त कार्यालयों से है ;

(झ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और सेवा नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो, और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो, और

(ञ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है ।

भाग दो—संवर्ग

सेवा की सदस्य संख्या

5—(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय ।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायं, सेवा की सदस्य-संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गयी है ;

परन्तु—

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा;

(दो) राज्यपाल समय-समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जो वह उचित समझें ।

टिप्पणी:—जिला कृषि अधिकारियों अन्य जिला स्तर के अधिकारियों, संभागीय उप निदेशक, कृषि प्रधानाचार्य, राजकीय कृषि विद्यालयों के कार्यालयों में और कृषि निदेशालय में समूह "घ" के कर्मचारियों के अलग-अलग संवर्ग होंगे ।

भाग तीन—भर्ती

भर्ती का स्रोत

6—सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती परिशिष्ट में दिये गये पदों के सामने इंगित स्रोतों से की जायगी ।

आरक्षण

7—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायगा ।

भाग चार—अर्हतायें

राष्ट्रीयता

8—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो ; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश, केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो ; परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले ।

टिप्पणी:—ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है अथवा उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय ।

आयु

9—सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो, उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जायें और पहली जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जायें, 21 वर्ष की हो जानी चाहिये और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो समय-समय पर अधिसूचित की जायं अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय ।

शैक्षिक और अन्य अर्हतायें

10—सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की शैक्षिक और अन्य अर्हतायें वही होनी चाहिये जो परिशिष्ट में पद के सामने विनिर्दिष्ट हैं ।

अधिमानी अर्हता

11—अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायगा, जिसने—

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो ; या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो ।

चरित्र

12—सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके । नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा ।

टिप्पणी:—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे । नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे ।

वैवाहिक प्रास्थिति

13—सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित रही हो :

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं ।

शारीरिक स्वस्थता

14—किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो । किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह फण्डामेन्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक खण्ड-दो, भाग-तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे ।

भाग पांच—भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

15—नियुक्ति प्राधिकारी सीधी भर्ती द्वारा वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 7 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना तत्समय प्रवृत्त नियमों और आदेशों के अनुसार सेवायोजन कार्यालय को देगा ।

सीधी भर्ती

16—(1) सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिये एक चयन समिति का गठन किया जायगा जिसमें नियुक्ति प्राधिकारी और उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो अन्य अधिकारी होंगे ।

(2) चयन समिति आवेदन-पत्रों की समीक्षा करेगी और नियम 7 के अनुसार अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतने पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगी जितने वह उचित समझे ।

(3) चयन समिति अभ्यर्थियों की, उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों से प्रकट हों, एक सूची तैयार करेगी । यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर बराबर अंक प्राप्त करें तो उनके नाम सेवा के लिये उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता-क्रम में रखे जायेंगे । सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से ज्यादा अधिक नहीं) होगी । चयन समिति उक्त सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी ।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

17—(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर नियम 16 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से की जायगी ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनसे सम्बन्धित ऐसे अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जायं, चयन समिति के समक्ष रखेगा ।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है ।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता-क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी ।

भाग छः—नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

18—(1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में हों ।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायगा जिसमें व्यक्तियों के नाम का उल्लेख, यथास्थिति चयन में यथा अवधारित या उस संवर्ग में, जिससे उन्हें पदोन्नति किया जाय, विद्यमान ज्येष्ठता-क्रम में किया जायगा ।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या आनापन्न रिक्तियों में भी उप नियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों से नियुक्तियां कर सकता है । यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्तियों में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियां कर सकता है । ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष की अवधि या इस नियमावली के अधीन अगला चयन किये जाने तक इनमें जो भी पहले हो, से अधिक नहीं चलेंगी ।

परिवीक्षा

19—(1) सेवा में किसी पद पर स्थायी रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्ति किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायगा ।

(2) नियुक्त प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा-अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय :

परन्तु, आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा-अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायगी ।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी ऐसे पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है ।

(4) उपनियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा-अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है ।

स्थायीकरण

20--किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यथास्थिति परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा-अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा यदि उसका कार्य और आचरण अच्छा पाया जाय और नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है ।

ज्येष्ठता

21--(1) सेवा में किसी श्रेणी के पदों पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उस क्रम से, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायगी :

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायगा और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा :

परन्तु यह और कि यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायं तो ज्येष्ठता वही होगी जो नियम 18 के उप नियम (2) के अधीन जारी किये गये नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित हों ।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधी नियुक्ति किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो चयन समिति द्वारा अवधारित की गयी हो :

परन्तु सीधी भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के बिना कार्य-भार ग्रहण करने में विफल रहे । कारण की युक्तियुक्तता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो जिससे उनकी पदोन्नति की गयी ।

भाग सात--वेतन इत्यादि

वेतनमान

22--(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय ।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान ऐसे होंगे जैसे परिशिष्ट में दिये गये हैं ।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

23--(1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समय-मान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी

जायगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहां विहित हो विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे ।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा-अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिये नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे ।

(3) ऐसे व्यक्ति को जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा-अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा ।

दक्षतारोक पार करने का मानदंड

24—किसी व्यक्ति को—

(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसने तत्परतापूर्वक और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न किया हो, उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

भाग आठ—अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

25—पद के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायगा । किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा ।

अन्य विषयों का विनियमन

26—ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे ।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

27—जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहां वह, उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें यह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है ।

व्यावृत्ति

28—इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्ध करना अपेक्षित हो ।

परिशिष्ट

[नियम 5 (2), 6, 10 और 22(2) देखिये]

क्रम-संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			भर्ती का स्रोत	शैक्षिक और अन्य अर्हतायें	वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कम्पोस्ट मिस्त्री	20	..	20	(1) क्रम संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 के पद 305–390 रुपये के निम्न वेतनमान के समूह 'घ' के कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।	जैसा स्तम्भ 6 में उल्लिखित है।	315–6–351–द0रो0–6–363–7–384–8–400–द0 रो0–8–440 रु0
2	कास्टन सुपरवाइजर	..	75	75			तदेव
3	सहायक सुपरवाइजर	..	15	15			तदेव
4	जमादार	2	..	2			तदेव
5	कामदार	3203	167	3370			तदेव
6	प्रयोगशाला परिचर	..	13	13			तदेव
7	बस्ता बरदार	..	1	1	(2) क्रम संख्या 1, 9, 11 के पद 305–390 रु0 के निम्न वेतनमान के समूह 'घ' के ऐसे कर्मचारियों में से जिन्हें सुसंगत व्यवसाय का ज्ञान हो, पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।		तदेव
8	रेलवे दफादार	5	..	5			तदेव
9	प्रधान माली	1	..	1			तदेव
10	बण्डल लिफ्टर	3	..	3			तदेव
11	जिल्दसाज	2	..	2			तदेव
12	प्रयोगशाला प्रदर्शनकर्त्ता	3	..	3	परन्तु यदि उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पद सीधी भर्ती द्वारा उन व्यक्तियों में से भरे जा सकते हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो और जिन्हें सुसंगत व्यवसाय का ज्ञान हो।		तदेव
13	प्रयोगशाला कामदार	8	..	8			तदेव
14	प्रयोगशाला सहायक	3	..	3			तदेव
15	आर्गेनाइजर ..	2	..	2	(1) क्रम संख्या 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 के पद रु0 305–390 के निम्न वेतनमान में समूह 'घ' के समस्त कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।		तदेव
16	आयलसीड सुपरवाइजर	..	110	110			तदेव
17	डुपलीकेटिंग मशीन आपरेटर	16	..	16			तदेव
18	वन रक्षक	..	12	12	(2) क्रम संख्या 17–25 और 27 के पद 305–390 रु0 के निम्न वेतनमान में समूह 'घ' के ऐसे कर्मचारियों में से जिन्हें सुसंगत व्यवसाय का ज्ञान हो, पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।		तदेव
19	सहायक बीज पर्यवेक्षक	..	4	4			तदेव

परिशिष्ट

[नियम 5 (2), 6, 10 और 22 (2) देखिये]

क्रम-संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			भर्ती का स्रोत	शैक्षिक और अन्य अर्हतायें	वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8
20	बीज सर्वेक्षण यंत्रक	..	7	7	परन्तु यदि उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो पद सीधी भर्ती द्वारा उन व्यक्तियों से भरे जा सकते हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो और जिन्हें सुसंगत व्यवसाय का ज्ञान हो।	जैसा स्तम्भ 6 में उल्लिखित है।	315–6–351–द0 रो0–6–363–7–384–8–400–द0 रो0–8–440 रु0
21	प्रयोगशाला परिचर	5	..	5			तदेव
22	तम्बाकू कामदार	..	1	1			तदेव
23	काटन कामदार	75	..	75			तदेव
24	जूट कामदार	..	235	235			तदेव
25	दफ्तरी	7	..	7			तदेव
26	कोषागार दफादार	1	..	1			तदेव
27	प्रधान चौधरी	1	..	1			तदेव
1	नलकूप चालक आपरेटर	20	36	56	305–390 रु0 के निम्न वेतनमान में समूह 'घ' के ऐसे कर्मचारियों में से जिन्हें सुसंगत व्यवसाय का ज्ञान हो, पदोन्नति द्वारा : परन्तु यदि उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो पद सीधी भर्ती द्वारा उन व्यक्तियों में से भरे जा सकते हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण की हो और जिन्हें सुसंगत व्यवसाय का ज्ञान हो।		
2	मिस्त्री ..	2	..	2	तदेव	तदेव	तदेव
3	संयंत्र चालक ..	..	13	13	तदेव	तदेव	तदेव
4	लाइनमैन एवं पेट्रोल मैन	1	..	1	तदेव	तदेव	तदेव
5	लोहार ..	14	..	14	तदेव	तदेव	तदेव

6	हेल्पर ..	..	20	20	तदेव	तदेव	तदेव
7	प्रचक्र मिस्त्री ..	1	..	1	तदेव	तदेव	तदेव
8	ट्रेडिंग मशीन मैन	1	..	1	तदेव	तदेव	तदेव
9	झलाईगर (वेल्डर)	2	6	8	तदेव	तदेव	तदेव
10	यांत्रिक परिचर ..	9	..	9	तदेव	तदेव	तदेव
11	सहायक आफ सेट प्रेस	1	..	1	तदेव	तदेव	तदेव
12	आपरेटर ..	1	..	1	तदेव	तदेव	तदेव
13	वितरक (डिस्ट्रीब्यूटर)	1	..	1	तदेव	तदेव	तदेव
14	डाक रूम परिचर	1	..	1	तदेव	तदेव	तदेव
15	आफ सेट प्रेस आपरेटर	1	..	1	तदेव	तदेव	तदेव
16	पेंटर ..	3	..	3	तदेव	तदेव	तदेव
17	कम्पोजिटर ..	2	..	2	तदेव	तदेव	तदेव
18	ईचर-कम-कम्पोजिटर	1	..	1	तदेव	तदेव	तदेव
19	ईचर ..	1	..	1	तदेव	तदेव	तदेव
20	कापी होल्डर ..	1	..	1	तदेव	तदेव	तदेव
21	फिटर ..	2	20	22	तदेव	तदेव	तदेव
22	टर्नर ..	1	3	4	तदेव	तदेव	तदेव
23	विद्युतकार ..	1	3	4	तदेव	तदेव	तदेव
24	मैकेनिक ..	1	..	1	तदेव	तदेव	तदेव
25	फिटर श्रेणी–2 ..	1	..	1	तदेव	तदेव	तदेव
26	टाइपराइटर मैकेनिक	1	..	1	तदेव	तदेव	तदेव
27	मशीन मैन ..	1	..	1	तदेव	तदेव	तदेव
28	प्रयोगशाला मैकेनिक	1	..	1	तदेव	तदेव	तदेव
29	आयल इंजन ड्राइवर	1	..	1	तदेव	तदेव	तदेव
30	बढ़ई ..	2	4	6	तदेव	तदेव	तदेव
31	बढ़ई एवं लोहार	1	..	1	तदेव	तदेव	तदेव
32	पम्प मैकेनिक ..	1	..	1	तदेव	तदेव	तदेव
33	नलकूप आपरेटर एवं मैकेनिक	1	..	1	तदेव	तदेव	तदेव
34	पाइप लाइन मैकेनिक	1	..	1	तदेव	तदेव	तदेव
35	मशीन सहायक ..	..	9	9	तदेव	तदेव	तदेव
36	कारीगर ..	6	..	6	तदेव	तदेव	तदेव
37	सहायक आपरेटर/आटिजाआफ-सेट ।	4	..	4	तदेव	तदेव	तदेव
38	मैकेनिक एवं इंजन ड्राइवर ..	..	79	79	तदेव	तदेव	तदेव

1	2	3	4	5	6	7	8
39	पिकर ..	4	..	4	305–390 रु0 के निम्न वेतनमान में समूह–घ के ऐसे कर्मचारियों में से, जिन्हें सुसंगत व्यवसाय का ज्ञान हो, पदोन्नति द्वारा : परन्तु यदि उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पद सीधी भर्ती द्वारा उन व्यक्तियों में से भरे जा सकते हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो और जिन्हें सुसंगत व्यवसाय का ज्ञान हो।	जैसा स्तम्भ 6 में उल्लिखित है।	315–6–351–द0 रो0–6–363–7–384–8–400–द0 रो0–8–440 रु0।
40	फीडर ..	4	..	4	तदेव	तदेव	तदेव
41	गैली प्रूफ मैन ..	2	..	2	तदेव	तदेव	तदेव
42	फिटर और टर्नर ..	1	..	1	तदेव	तदेव	तदेव
1	चपरासी ..	788	1023	1811	सीधे	अर्हतायें जैसी चतुर्थ कर्मचारी सेवा नियमावली 1975 में विहित है।	305–5–330–द0 रो0–6–360–द0 रो0–6–390 रु0
2	अर्दली ..	226	59	345	तदेव	तदेव	तदेव
3	चौकीदार ..	577	319	896	तदेव	तदेव	तदेव
4	क्लीनर	166	21	187	तदेव	तदेव	तदेव
5	फर्राश ..	3	..	3	तदेव	तदेव	तदेव
6	कोषागार परिचर	11	10	21	तदेव	तदेव	तदेव
7	डाकरनर ..	24	7	31	तदेव	तदेव	तदेव
8	गोदाम मैन ..	111	6	117	तदेव	तदेव	तदेव
9	लिटरेरी मेट ..	1	1	2	तदेव	तदेव	तदेव
10	प्रयोगशाला परिचर	136	42	178	तदेव	तदेव	तदेव
11	जमादार ..	22	4	26	तदेव	तदेव	तदेव
12	मेट ..	3	..	3	तदेव	तदेव	तदेव
13	माली ..	9	2	11	तदेव	तदेव	तदेव
14	सेवक ..	1	..	1	तदेव	तदेव	तदेव
15	हरवाहा (प्लाऊ मैन)	21	11	32	तदेव	तदेव	तदेव
16	खलासी ..	..	20	20	तदेव	तदेव	तदेव
17	कुली ..	13	6	19	तदेव	तदेव	तदेव
18	सईस ..	11	2	13	तदेव	तदेव	तदेव
19	चरवाहा ..	8	..	8	तदेव	तदेव	तदेव
20	प्रक्षेत्र सेवक	4	..	4	तदेव	तदेव	तदेव

21	पशुपाल (कैटल मैन)	1	..	1	तदेव	तदेव	तदेव
22	साक्षर माली (लिटरेरी माली)	1	..	1	तदेव	तदेव	तदेव
23	फील्ड मिस्त्री	1	..	1	तदेव	तदेव	तदेव
24	पोर्टर ..	36	..	36	तदेव	तदेव	तदेव
25	क्षेत्र प्रचारक ..	1244	141	1385	तदेव	तदेव	तदेव
26	भंडार प्रचारक ..	12	..	12	तदेव	तदेव	तदेव
27	साक्षरता सहायक	51	5	56	तदेव	तदेव	तदेव
28	बाग सहायक	1	..	1	तदेव	तदेव	तदेव
29	प्रशिक्षण परिचर	3	..	3	तदेव	तदेव	तदेव
30	हथौड़े वाला	9	..	9	तदेव	तदेव	तदेव
31	भण्डार सेवक	6	..	6	तदेव	तदेव	तदेव
32	पशु परिचर ..	15	..	15	तदेव	तदेव	तदेव
33	डीहैबट्रेशन परिचर	..	1	1	तदेव	तदेव	तदेव
34	वर्गीकरण परिचर	1	1	2	तदेव	तदेव	तदेव
35	भण्डार परिचर	1	..	1	तदेव	तदेव	तदेव
36	कोषागार चपरासी	10	8	18	तदेव	तदेव	तदेव
37	फार्म चौकीदार	2	2	4	तदेव	तदेव	तदेव
38	नलकूप चालक	1	1	2	तदेव	तदेव	तदेव
39	मिस्त्री ..	4	..	4	तदेव	तदेव	तदेव
40	बिदाते	1	..	1	तदेव	तदेव	तदेव
41	ट्रैक्टर क्लीनर	12	..	12	तदेव	तदेव	तदेव
42	बुलडोजर क्लीनर	2	1	3	तदेव	तदेव	तदेव
43	सर्वेक्षण मेट ..	5	3	8	तदेव	तदेव	तदेव
44	दूधवाला ...	2	1	3	तदेव	तदेव	तदेव
45	फायर मैन ..	1	1	2	तदेव	तदेव	तदेव
46	बाग कुली ..	1	..	1	तदेव	तदेव	तदेव
47	चेन मैन मिस्त्री	3	..	3	तदेव	तदेव	तदेव
48	कर्मशाला परिचर	2	..	2	तदेव	तदेव	तदेव
49	भरिक ..	..	2	2	तदेव	तदेव	तदेव
50	पत्रवाहक ..	..	1	1	तदेव	तदेव	तदेव
51	प्रयोगशाला पाल	..	1	1	तदेव	तदेव	तदेव
52	वितरक ..	..	1	1	तदेव	तदेव	तदेव
53	प्रयोगशाला चपरासी	2	..	2	तदेव	तदेव	तदेव

1	2	3	4	5	6	7	8
54	कुशल अनुचर ..	..	3	3	सीधे	रहेंगे जैसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा नियमावली, 1975 में विहित है ।	305-5-330-द0 रो0-6-360-द0 रो0-6-390 रु0 ।
55	क्षेत्र परिचर ..	..	4	4	तदेव	तदेव	तदेव
56	मेहतर ..	16	4	20	तदेव	तदेव	तदेव
57	पानी वाला ..	7	4	11	तदेव	तदेव	तदेव
58	भिस्ती ..	6	..	6	तदेव	तदेव	तदेव
1	ट्रक ड्राइवर ..	52	17	69	सीधे	8वीं कक्षा उत्तीर्ण । भारी हल्की गाड़ियों का ड्राइविंग लाइसेन्स और गाड़ी चलाने का पर्याप्त अनुभव	330-7-366-8-381-द0रो0 8-405-9-450-द0रो0-9-495 रुपये ।
2	बुलडोजर चालक	92	65	157	तदेव	तदेव	तदेव
3	ड्राइवर ..	32	11	43	तदेव	तदेव	तदेव
4	भारी गाड़ी ड्राइवर	11	..	11	तदेव	तदेव	तदेव
5	जीप चालक ..	125	102	227	तदेव	तदेव	तदेव
6	मोटर चालक ..	8	..	8	तदेव	तदेव	तदेव
7	वाहन चालक ..	67	..	67	तदेव	तदेव	तदेव
8	स्टेशन वैगन चालक	1	..	1	तदेव	तदेव	तदेव
9	पिक-अप चालक ..	1	..	1	तदेव	तदेव	तदेव
10	प्रशिक्षित मोटर चालक	1	..	1	तदेव	तदेव	तदेव
11	ट्रैक्टर चालक ..	20	200	220	तदेव	तदेव	तदेव
12	ट्रैक्टर ट्रेलर चालक	17	..	17	तदेव	तदेव	तदेव
13	प्रोजेक्टनिस्ट मैकेनिक	1	..	1	315-440 रु0 के वेतनमान के ऐसे कर्मचारियों में से, जिन्हें सुसंगत व्यवसाय का ज्ञान हो, पदोन्नति द्वारा : परन्तु यदि उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो पद सीधी भर्ती द्वारा उन व्यक्तियों में से भरे जा सकते हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो और जिन्हें सुसंगत व्यवसाय का ज्ञान हो ।	जैसा स्तम्भ 6 में उल्लिखित है ।	330-7-366-8-381-द0रो0-8-405-9-450-द0रो0-9-495 रु0 ।
14	मैकेनिक ..	10	1	11		तदेव	तदेव
15	सहायक मैकेनिक ..	2	..	2		तदेव	तदेव
16	रोटा प्लेट मेकर	2	..	2		तदेव	तदेव
17	हिन्दी लीथोरेइटर	1	..	1		तदेव	तदेव
18	फार्मेसिस्ट ..	1	..	1		तदेव	तदेव
19	तकनीशियन ..	1	6	7		तदेव	तदेव
20	विद्युतकार ..	2	..	2	तदेव	तदेव	तदेव
21	कमबाइन आपरेटर	..	1	1	तदेव	तदेव	तदेव
22	प्रोजेक्ट आपरेटर और यान्त्रिक	11	..	11	तदेव	तदेव	तदेव
23	प्रोजेक्टर आपरेटर	19	..	19	तदेव	तदेव	तदेव
24	आपरेटर	7	..	7	तदेव	तदेव	तदेव

आज्ञा से,
भूरे लाल,
सचिव ।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 3438/XII(9)—1858-77, dated June 7, 1984:

No. 3438/XII(9)—1858-77

Dated Lucknow, June 7, 1984

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Agriculture Department Group 'D' Employees Service.

THE UTTAR PRADESH AGRICULTURE DEPARTMENT GROUP 'D' EMPLOYEES SERVICE RULES, 1984

Part I—General

Short title and commencement.

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Agriculture Department Group 'D' Employees Service Rules, 1984.

(2) They shall come into force atonce.

Status of service.

2. The Uttar Pradesh Agriculture Department Group 'D' Employees Service comprises Group 'D' posts.

Applicability.

3. These rules shall apply to the Group 'D' posts in the Agriculture Department of the Government.

Definition.

4. In these rules unless there is anything repugment in the subject or context :

(*a*) (i) "appointing authority" in respect of the posts in the Directorate, means an officer not below the rank of Deputy Director at the Headquarters authorised in this behalf by the Director.

(ii) in the "Regional Offices" means the Deputy Director concerned, and

(iii) in the 'District Level Offices' means the District Level Officer concerned;

(*b*) "Constitution" means the Constitution of India;

(*c*) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;

(*d*) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh;

(*e*) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh;

(*f*) "member of the Service" means a person substantively appointed under these rule or rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service;

(*g*) "Service" means the Uttar Pradesh Agriculture Department Group 'D' Service;

(*h*) "Subordinate Office" means all the offices under the control of Agriculture Department;

(*i*) "substantive appointment" means an appointment not being on *ad hoc* appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the service rules and, if there be no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by the executive instructions issued by the Government;

(*j*) "year of recruitment" means a period of twelve months beginning from the 1st day of July of a Calendar year.

Part II—Cadre

Strength of service.

5. (1) The strength of the services and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the services and of each category of posts therein shall,

until order varying the same are passed under sub-rule (1), be as given in the Appendix.

Provided that—

(i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post without thereby entiling any person to compensation; or

(ii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts from time to time as he may consider proper.

NOTE—There shall be separate cadres of Group 'D' employees in the offices of District Agriculture Officers, other District Level Officers, Regional Deputy Director of Agriculture, Principals, Government Agriculture Schools and in the Directorate of Agriculture.

PART III—RECRUITMENT

Source of Recruitment.

6. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the sources indicated against the posts in the Appendix.

Reservation.

7. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment.

PART IV—QUALIFICATIONS

Nationality.

8. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be—

(*a*) A Citizen of India, or

(*b*) A Tibetan refugee who came over to India before January 1, 1962 with the intention of permanently settling in India, or

(*c*) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East Africant countries of Kenya Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to category (*b*) or (*c*) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (*b*) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector-General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh:

Provided also that if a candidate belongs to category (*c*) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of a candidate in a service beyond the period of one year shall be subject to his acquiring Indian Citizenship.

NOTE—A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Age.

9. A candidate for direct recruitment must have attained by age of 21 years and must not have attained the age of 30 years of the first day of January of the year in which recruitment is to be made if the posts are advertised during the period January 1 to June 30, and on first day of July if the posts are advertised during the period July 1 to Decemper 31:

Provided that in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

Academic and other qualifications.

10. A candidate for direct recruitment to the various posts in the service must possess the academic and other qualifications specified against the post in the Appendix.

Preferential qualification.

11. A candidate who has—

(i) served in the Territorial Army for a minimum period of two years ; or

(ii) obtained a 'B' certificate of the National Cadet Corps, shall other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

12. The character of candidates for direct recruitment must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service. The appointing authority shall satisfy itself on this point: Character.

NOTE—Persons dismissed by the Union Government or a State Government or Local Authority, or by a corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government, shall be ineligible for appointment to any post in the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

13. A male candidte, who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living, shall not be eligible for appointment to a post in the service: Marital Status.

Provided that the Governor may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule:

14. No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment by direct recruitment he shall be required to produce a medical certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental Rule 10, and contained in Chapter III of the Financial Hand Book, Volume II, Part III Physical Fitness.

CHAPTER V—PROCEDURE FOR RECRUITMENT

15. The appointing authority shall determine and notify to the employment exchange, in accordance with the rules and orders for the time being in force, the number of vacancies to be filled by direct recruitment during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 7. Determination of Vacancies.

16. (1) For the purpose of direct recruitment there shall be constituted a selection committee comprising the appointing authorty and two other officers nominated by him. Direct Recruitment.

(2) The Selection Committee shall scrutinize the applications and having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories in accordance with rule 7, call for interview such number of eligibile candidates as they consider proper.

(3) The selection committee shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the marks obtained by each candidate in the interview. If two or more candidates obtain equal marks their names shall be arranged in order of merit on the basis of their general suitability for the service. The number of names in the list shall be larger but not larger by more than 15 per cent than the number of vacancies.

The Selection Committee shall forward the list to the appointing authority.

17. (1) Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit through the Selection Committee constituted under rule 16. Procedure for Recruitment by Promotion.

(2) The appointing authority shall prepare an eligibility list of the candidates arranged in order of seniority and place before the selection committee along with such record pertaining to them as may be considered proper.

(3) The selection committee shall consider the cases of candidates on the basis of record referred to in sub-rule (2) and, if it considers necessary it may interview the candidates also.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of Selected candidates arranged in order of seniority and forward the same to the appointing authority.

PART VI—APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENORITY

18. (1) The appointing authority shall make appointments by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rule 16 or 17 as the case may be. Appointment.

(2) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they were promoted.

(3) The appointing authority may make appointments in temporary or officiating capacity also from the lists referred to in sub-rule (1). If no candidate borne on these lists is available, he may make appointments in such vacancies from amongst persons eligible for appointment under these rules. Such appointments shall not last for a period exceeding one year or beyond the next selection under these rules, whichever be earlier.

Probation.

19 (1) A person on appointment to a post in the Service in or against a permanent vacancy shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted :

Provided that save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation.

20. A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or extended period of probation, as the case may be, if his work and conduct have been found to be satisfactory, and the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

Seniority.

21. (1) Seniority in any category of posts in the service shall be determined from the date of the order of substantive appointment and if two or more persons are appointed together by the order in which their names are arranged in the appointment order:

Provided that if the appointment order specifies a particular back date with effect from which a person is substantively appointed, that date will be deemed to be the date of order of substantive appointment and in other cases it will mean the date of issue of the order:

Provided further then, if more than one order of appointment are issued in respect of anyone selection, the seniority shall be as mentioned in the combined order of appointment issued under sub-rule (2) of rule 18.

(2) The seniority *inter se* of persons appointed directly on the result of any one selection shall be the same as determined by the Selection Committee :

Provided that a candidate recruited directly may lose his seniority if he fails to join without valid reasons when vacancy is offered to him. The decision of the appointing authority as to the validity of the reasons shall be final.

(3) The seniority *inter se* of persons appointed by promotion shall be the same as it was in the cadre from which they were promoted.

PART VII—PAY ETC.

Scale of pay.

22. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the servce, whether in a substantive or officiating capacity or as a temporary measure shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of commencement of these rules are as given in the Appendix.

Pay during probation

23. (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government Service shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental examination and has undergone training where prescribed, and second increment after two years service when he has completed the probationery period and is also confirmed :

Provided that if the period of probation is exended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant fundamental rules:

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government Servants serving in connection with the affairs of the State.

Criteria for crossing efficiency bar.

24. No person shall be allowed to cross :—

(i) the first efficiency bar, unless his work and conduct are found to be satisfactory and unless his integrity is certified;

(ii) the second efficiency bar, unless he has worked diligently and to the best of his ability, his work and conduct are found to be satisfactory and unless his integrity is certified.

Part VIII—Other Provisions

Convassing.

25. No recommendation, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directy or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of other matters.

26. In regard to the matters not specifically covered by these rules or by special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulation and orders applicable generally to Government Servants serving in connection with the affairs of the state.

Relaxation in the condition of service.

27. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rule applicable to the case by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Savings.

28. Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

APPENDIX

[*See* rules 5(2), 6, 10 and 22(2)]

Serial no.	Designation	No. of post			Source of recruitment	Academic and other qualification	Pay Scale
		Permanent	Temporary	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Compost Mistri ..	20	..	20	(1) The post at serial nos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 will be filled by promotion amongst Group 'D' employees in the lower pay scale of Rs. 305—390.	As mentioned in col. 6.	Rs. 315—6—351—E.B.—6—363—7—384—8—400—E.B.—8—440.
2	Cotton Supervisor ..	..	75	75		Ditto	
3	Asstt. Supervisor ..	..	15	15			
4	Jamadar ..	2	..	2	(2) The post at serial nos. 1, 9, 11 will be filled by promotion amongst Group 'D' employees in the lower scale of Rs. 305—390 having knowledge of relevant trades:	Ditto	Ditto.
5	Kamdar ..	3203	167	3370		Ditto	Ditto.
6	Laboratory Attendent ..	..	13	13		Ditto	Ditto.
7	Basta Bardar ..	..	1	1	Provided that if suitable candidates are not available, the posts may be filled by direct recruitment from amongst persons who have passed VIII classs from a recognised institution and have knowledge of relevant trades.	Ditto	Ditto.
8	Railway Dafadar ..	5	..	5		Ditto	Ditto.
9	Head Mali ..	1	..	1		Ditto	Ditto.
10	Bundle Lifter ..	3	..	3		Ditto	Ditto.
11	Binder ..	2	..	2		Ditto	Ditto.
12	Lab. Pradarshan Karta ..	3	..	3		Ditto	Ditto.
13	Lab. Kamdar ..	2	..	2		Ditto	Ditto.
14	Laboratory Assistant ..	3	..	3		Ditto	Ditto.
15	Organiser ..	2	..	2	(1) The posts at serial nos. 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 will be filled by promotion amongst all Group 'D' employees in the lower pay scale of Rs. 305—390.		
16	Oil seed supervisor ..	..	110	110		Ditto	Ditto.
17	Duplicating Machine Operator	16	..	16			
18	Van Rakshak ..	..	12	12	(2) The posts at serial nos. 17, 25, 27 will be filled by promotion amongst Group 'D' employees in the lower scale of Rs. 305—390 having knowledge of relevent trades:	Ditto	Ditto.
19	Sahayak Beej Parivakchak ..	..	4	4		Ditto	Ditto.
20	Beej Survey Yantrik ..	..	7	7		Ditto	Ditto.
21	Lab. Attendent ..	5	..	5	Provided that if suitable candidates are not available, the posts may be filled by direct recruitment from amongst persons who have passed Class VIII from recognised institution and have knowledge of relevent trades.	Ditto	Ditto.
22	Tobacco Kamdar ..	..	1	1		Ditto	Ditto.
23	Cotton Kamdar	75	..	75		Ditto	Ditto.
24	Jute Kamdar ..	..	235	235		Ditto	Ditto.
25	Daftri ..	7	..	7		Ditto	Ditto.
26	Try. Dafadar ..	1	..	1		Ditto	Ditto.
27	Head Chaudhary ..	1	..	1		Ditto	Ditto.

2	*Post of IV class Semi-skill—*								
1	Tube-well Operator	..	20	36	56	Ditto	..	Ditto	Ditto.
2	Mistri	..	2	..	2	Ditto	..	Ditto	Ditto.
3	Plant Chalak		..	13	13	Ditto	..	Ditto	Ditto.
4	Linemen-*cum*-Petrolemen	..	1	..	1	Ditto	..	Ditto	Ditto.
5	Lohar	..	14	..	14	Ditto	..	Ditto	Ditto.
6	Helper	..	..	20	20	Ditto	..	Ditto	Ditto.
7	Prachatra Mistri	..	1	..	1	Ditto	..	Ditto	Ditto.
8	Trading Machinemen	..	1	..	1	Ditto	..	Ditto	Ditto.
9	Welder	..	2	6	8	Ditto	..	Ditto	Ditto.
10	Mechanical Attendent	..	9	..	9	Ditto	..	Ditto	Ditto.
11	Sahayak Off-set Press	..	1	..	1	Ditto	..	Ditto	Ditto.
12	Operator	..	1	..	1	Ditto	..	Ditto	Ditto.
13	Distributor	..	1	..	1	Ditto	..	Ditto	Ditto.
14	Dark-room attendent	..	1	..	1	Ditto	..	Ditto	Ditto.
15	Offset Press Operator	..	1	..	1	Ditto	..	Ditto	Ditto.
16	Painter	..	3	..	3	Ditto	..	Ditto	Ditto.
17	Compositor	..	2	..	2	Ditto	..	Ditto	Ditto.
18	Eacher-*cum*-Compositor	..	1	..	1	Ditto	..	Ditto	Ditto.
19	Eacher	..	1	..	1	Ditto	..	Ditto	Ditto.
20	Copy Holder	..	1	..	1	Ditto	..	Ditto	Ditto.
21	Fitter	..	2	20	22	Ditto	..	Ditto	Ditto.
22	Turner	..	1	3	4	Ditto	..	Ditto	Ditto
23	Electrician	..	1	3	4	Ditto	..	Ditto	Ditto.
24	Mechanic	..	1	..	1	Ditto	..	Ditto	Ditto.
25	Fitter, Grade II	..	1	..	1	Ditto	..	Ditto	Ditto.
26	Typewriter Mechanic	..	1	..	1	Ditto	..	Ditto	Ditto.
27	Machinemen		1	..	1	Ditto	..	Ditto	Di o
28	Lab. Mechanic	..	1	..	1	Ditto	..	Ditto	Ditto.
29	Oil Engine Driver	..	1	..	1	Ditto	..	Ditto	Ditto.
30	Carpenter	..	2	4	6	Ditto	..	Ditto	Ditto.

1	2	3	4	5	6	7	8
31	Carpenter-*cum*-Blacksmith ..	1	..	1	By promotion from amongst Group D' employees .. .. Provided that if suitable candidates are not available, the posts may be filled by direct recruitment from amongst persons who have passed VIII class from a recognised institution and have knowledge of relement trades.	As mentioned in col. 6	Rs. 315—6—351 —E. B.—6—363 —7—384—8— 400—E.B.—8— 440.
32	Pump Mechanic ..	1	..	1	Ditto	Ditto	Ditto.
33	Tube-well Operator-*cum*-Mechanic	1	..	1	Ditto	Ditto	Ditto.
34	Pipe line mechanic ..	1	..	1	Ditto	Ditto	Ditto.
35	Mechanic Assistant ..	..	9	9	Ditto	Ditto	Ditto.
36	Karigar ..	6	..	6	Ditto	Ditto	Ditto.
37	Sahayak Operator (Artiza Off-set)	4	..	4	Ditto	Ditto	Ditto.
38	Mechanic-*cum*-Engine Driver ..	..	79	79	Ditto	Ditto	Ditto.
39	Picker ..	4	..	4	Ditto	Ditto	Ditto.
40	Feeder ..	4	..	4	Ditto	Ditto	Ditto.
41	Galley Proofmen ..	2	..	2	Ditto	Ditto	Ditto.
42	Fitter and Turner	1	..	1			Ditto.
					Appendix		
1	Peon ..	788	1023	1811	Direct recruitment ..	Qualifications as prescribed n class IV Employees Service Rules, 1975.	Rs. 305—5—330—E.B.—6—360—E.B.—6—390.
2	Orderly ..	286	59	345	Do. ..	Ditto	Ditto.
3	Chaukidar ..	577	319	896	Do. ..	Ditto	Ditto.
4	Cleaner	166	21	187	Do. ..	Ditto	Ditto.
5	Furrash ..	3	..	3	Do. ..	Ditto	Ditto.
6	Treasury Attendent	11	10	21	Do. ..	Ditto	Ditto.
7	Dak-runner ..	24	7	31	Do. ..	Ditto	Ditto.
8.	Godown man ..	111	6	117	Do. ..	Ditto	Ditto.
9	Literary Mait ..	1	1	2	Do. ..	Ditto	Ditto.
10	Lab. Attendent ..	136	42	178	Do. ..	Ditto	Ditto.
11	Jamadar ..	22	4	26	Do. ..	Ditto	Ditto.
12	Mate ..	3	..	3	Do. ..	Ditto	Ditto.
13	Mali ..	9	2	11	Do. ..	Ditto	Ditto.
14	Savak ..	1	..	1	Do. ..	Ditto	Ditto.

15	Ploughman	--	21	11	32	Do.	--	Ditto	Ditto.
16	Khalashi	--	...	20	20	Do.	...	Ditto	Ditto.
17	Cooli	--	13	6	19	Do.	--	Ditto	Ditto.
18	Saies	--	11	2	13	Do.	--	Ditto	Ditto.
19	Charwaha	--	8	--	8	Do.	--	Ditto	Ditto..
20	Prechatra Sevak	--	4	--	4	Do.	--	Ditto	Ditto.
21	Cattleman	--	1	--	1	Do.	--	Ditto	Ditto.
22	Literate Mali	--	1	...	1	Do.	--	Ditto	Ditto.
23	Field Mistri	--	1	--	1	Do.	--	Ditto	Ditto.
24	Porter	--	36	...	36	Do.	--	Ditto	Ditto.
25	Chatra Pracharak	--	1244	141	1385	Dc.	--	Ditto	Ditto.
26	Bhandar Pracharak	--	12	...	12	Do.	--	Ditto	Ditto.
27	Lit. Assistant	--	51	5	56	Do.	--	Ditto	Ditto.
28	Garden Assistant	--	1	..	1	Do.	--	Ditto	Ditto.
29	Training Attendent	--	3	--	3	Do.	--	Ditto	Ditto.
30	Hammerman	--	9	--	9	Do.	--	Ditto	Ditto.
31	Store Servant	--	6	..	6	Do.	--	Ditto	Ditto.
32	Cattle Attendent	--	15	..	15	Do.	--	Ditto	Ditto.
33	Dehaitration Attendent	--	..	1	1	Do.	..	Ditto	Ditto.
34	Vargikaran Prichar	--	1	1	2	Do.	--	Ditto	Ditto.
35	Store Attendent	--	1	..	1	Do.	--	Ditto	Ditto.
36	Treasury Peon	--	10	8	18	Do.	--	Ditto	Ditto.
37	Farm Chaukidar	--	2	2	4	Do.	--	Ditto	Ditto.
38	Nalkoop Chalak	--	1	1	2	Do.	..	Ditto	Ditto.
39	Mistri	--	4	..	4	Do.	..	Ditto	Ditto,
40	Viwate	--	1	..	1	Do.	--	Ditto	Ditto.
41	Tractor Cleaner	--	12	..	12	Do.	--	Ditto	Dittto.
42	Buldozer Cleaner	--	2	1	3	Do.	--	Ditto	Ditto.
43	Survey Mate	--	5	3	8	Do.	--	Ditto	Ditto.
44	Milkman	--	2	1	3	Do.	--	Ditto	Ditto.
45	Fireman	--	1	1	2	Do.	..	Ditto	Ditto.

1	2		3	4	5	6	7	8
46	Garden Cooli	..	1	..	1	Direct Recruitment	Qualifications as prescribed in Class IV Employees Service Rules, 1975.	Rs.305—5—330—E.B.—6—360—E. B. —6—390.
47	Chain Main Mistri	..	3	..	3	Do.		
48	Workshop Attendent	..	2	..	2	Do.		
49	Bharik	..	..	2	2	Do.		
50	Patra Bahak	..	..	1	1	Do.	.. Ditto	Ditto
51	Prayogshala Pal	..	..	1	1	Do.	.. Ditto	Ditto
52	Bitrak	..	..	1	1	Do.	.. Ditto	Ditto
53	Lab. Peon	..	2	..	2	Do.	.. Ditto	Ditto
54	Kusal Anuchar	..	..	3	3	Do.	.. Ditto	Ditto
55	Chhetra Paricher	..	..	4	4	Do.	.. Ditto	Ditto
56	Sweeper	..	16	4	20	Do.	.. Ditto	Ditto
57	Waterman	..	7	4	11	Do.	.. Ditto	Ditto
58	Bhisti	..	6	..	6	Do.	.. Ditto	Ditto
						Appendix		
1	Truck Driver	..	52	17	69	Direct Recruitment	.. Class VIII passed. Driving licence of heavy/light vehicle and adequate experience of Driving.	Rs. 330—7—366—8—381—E.B.—8—405—9—450—E.B.—9—495.
2	Buldozer Chalak	..	92	65	157	Do.	Ditto	Ditto
3	Driver	..	32	11	43	Do.	Ditto	Ditto
4	Heavy Vehicle Driver	..	11	..	11	Do.	Ditto	Ditto
5	Jeep Chalak	..	125	102	227	Do.	Ditto	Ditto
6	Motor Chalak	..	8	..	8	Do.	Ditto	Ditto
7	Vahan Chalak	..	67	..	67	Do.	Ditto	Ditto
8	Station Wagon Chalak	..	1	..	1	Do.	Ditto	Ditto
9	Pick-up Chalak	..	1	..	1	Do.	Ditto	Ditto
10	Trained Motor Driver	..	1	..	1	Do.	Ditto	Ditto
11	Tractor Chalak	..	20	200	220	Do.	Ditto	Ditto
12	Tractor Trailer Driver	..	17	..	17	Do.	Ditto	Ditto

13	Projectionist Mechanic ..	1	..	1	By promotion from amongst employees in the pay scale of Rs. 315—440 having knowledge of relevent trade: Provided that if suitable candidates are not available the posts may be filled by direct recruitment from amongst persons who have passed VIII Class from a recognised institution and have knowledge of relevent trades.	Class VIII passed having knowledge of relevent trade.	Rs. 330—7—366—8—381—E.B.—8—405—9—450—E.B.—9—495.
14	Mechanic ..	10	1	11	Ditto	Ditto	Ditto.
15	Asstt Mechanic ..	2	..	2	Ditto	Ditto	Ditto.
16	Rota Plate Maker ..	2	..	2	Ditto	Ditto	Ditto.
17	Hindi Literature ..	1	..	1	Ditto	Ditto	Ditto.
18	Pharmacist ..	1	..	1	Ditto	Ditto	Ditto.
19	Technician ..	1	6	7	Ditto	Ditto	Ditto.
20	Electrician ..	2	..	2	Ditto	Ditto	Ditto.
21	Combine Operator ..	..	1	1	Ditto	Ditto	Ditto.
22	Projector Operator Yantrik ..	11	..	11	Ditto	Ditto	Ditto.
23	Projector Operator ..	19	..	19	Ditto	Ditto	Ditto.
24	Operator ..	7	..	7	Ditto	Ditto	Ditto.

By order,
BHURE LAL,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 7 सा० (वि)—(930)—1984—500 (मेक०)।